## राज्यभर में लागू की गयी एकमुश्त यातायात चालान निबटान योजना

# ट्रैफिक चालानों पर 50% तक की छूट

संवाददाता, पटना

**बिहार** कैबिनेट में स्वीकृति के बाद राज्यभर में एकमुश्त यातायात चालान निबटान योजना-2026 लागू कर दी गयी है. इस संबंध में गुरुवार को परिवहन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. विभाग के मुताबिक अब बिना हेलमेट, सीटबेल्ट, बिना इंश्योरेंस वाहन चलाने, प्रावधानों नियमों, विनियमों व अधिसूचनाओं का उल्लंघन सहित अन्य यातायात उल्लंघन से जुड़े लंबित इ-चालानों का 50 प्रतिशत राशि जमा कर आसानी से निबटान हो पायेगा.

## लंबित इ- चालान मामलों का राष्ट्रीय लोक अदालत से होगा निष्पादन

**यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू:** अधिसूचना के मुताबिक एकमुश्त यातायात चालान निपटान योजना-2026 के तहत 90 दिनों से अधिक अवधि से लंबित चालानों का निष्पादन राष्ट्रीय लोक अदालत में किया जायेगा. यह योजना तत्काल प्रभाव से लागू हो गयी है और वित्तीय वर्ष 2026-27 तक प्रभावी रहेगी. इस योजना से लाखों वाहन चालकों को सीधा आर्थिक लाभ मिलेगा. इसके लिए इ- चालान की न्यूनतम जुर्माना राशि निर्धारित की गयी है .एकमुश्त निबटान योजना के माध्यम से लोग कम राशि देकर अपने पुराने मामलों का निबटारा कर सकेंगे.

**इस योजना के लागू होने से आम लोगों को कई स्तर पर राहत मिलेगी :** इस योजना के लागू होने से आम लोगों को कई स्तर पर राहत मिलेगी. उन्हें पुराने सामान्य चालानों के लिए पूरी राशि चुकाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि आधी राशि देकर ही मामला समाप्त किया जा सकेगा. वहीं, लंबित चालानों के कारण वाहन से जुड़े कार्यों में आने वाली बाधाएं भी दूर होंगी. वहीं, सरकार और परिवहन विभाग के लिए भी यह योजना कई मायनों में लाभकारी साबित होगी.